

प्रशासकीय मान्यता

चाळीसगाव, जि. जळगाव येथे जिल्हा न्यायाधीशांसाठी ४, दिवाणी न्यायाधीश (व.स्तर) यांचेसाठी ४ आणि दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर) यांचेसाठी ८ असे एकूण १६ निवासस्थाने बांधणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

विधि व न्याय विभाग

शासन निर्णय क्र. सीआरक्यू-११२५/प्र.क्र.१३२/का.१३

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

दिनांक:- २६ फेब्रुवारी, २०२६.

पहा :-

मा. प्रबंधक (निरिक्षणे-२), मा. उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे क्र.बी (डब्ल्यू) ६०५३/२०२५/(६२)/२८६२/४९३७७, दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२५.

प्रस्तावना :-

चाळीसगाव, जि. जळगाव जिल्हा न्यायाधीशांसाठी ४, दिवाणी न्यायाधीश (व.स्तर) यांचेसाठी ४ आणि दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर) यांचेसाठी ८ असे एकूण १६ निवासस्थाने बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भाधिन पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

चाळीसगाव, जि. जळगाव येथे जिल्हा न्यायाधीशांसाठी ४, दिवाणी न्यायाधीश (व.स्तर) यांचेसाठी ४ आणि दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर) यांचेसाठी ८ असे एकूण १६ निवासस्थाने येथे बांधण्याकरिता रु. २३.७० कोटी (रुपये तेवीस कोटी सत्तर लाख फक्त) इतक्या खर्चाच्या कामास (सोबत जोडलेल्या Recapitulation Sheet नुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

२. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :-

१. बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी नमूना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे.
२. सदरचे अंदाजपत्रक हे नमूना अंदाजपत्रक असल्याने या कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता देत असताना मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जळगाव यांच्या सहमतीने तरतूदी अंतीम करण्यात याव्यात.

३. नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात.
४. सदर कामाची निविदा काढताना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व कामांसाठी एकत्र निविदा काढण्यात यावी.
५. काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात यावी.
६. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ता.क. १, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
७. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र. ६०/इमारती-२, दिनांक ७ जुलै, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी.
८. सदर कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता लागणार नाही या दृष्टीने विशेष दक्षता घेण्यात यावी.
९. अंदाजपत्रकीय कामात बदल करू नये.
१०. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या आधारावर कामाच्या व्याप्तीत बदल किंवा नवीन कामे समाविष्ट करू नयेत.
११. नवीन कामांचा समावेश करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदल करावयाचा झाल्यास याबाबत लेखी आदेश प्राप्त करून विहित मुदतीत व पध्दतीने सदर कामांना मंजूरी घेण्याची कार्यवाही करावी. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल.

३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च उपरोक्त कामासाठी “ मागणी क्र. जे-४ ४२१६, गृहनिर्माणावरील भांडवली खर्च ०१- शासकीय निवासी इमारती १०६, एकत्रित सर्वसाधारण निवासव्यवस्था (०१) विधि व न्याय विभागांतर्गत निवासी इमारतीचे बांधकाम व न्यायालयांना पायाभूत सुविधा पुरविणे (०१) (०१) न्यायाधीशांकरीता निवासस्थानांचे बांधकाम (कार्यक्रम) (४२१६ १९२१) ५३ , मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर नियतव्ययातून खर्च प्रस्तावित आहे.” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर नियतव्ययातून खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये.

४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र. २५४/२०२५/इमा-२, दिनांक २२ डिसेंबर, २०२५ व मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक, क्र. संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र. १०/इमा-२, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक यांनी

दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार तसेच, नियोजन विभाग, परिपत्रक, क्र. ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८/भाग-१/ का-१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार विभागास असलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभाग शासन निर्णय, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३० /१३/विनियम भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकार्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२६०२२७१३१८५९९११२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

(विलास वसंत गायकवाड)

विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

- १) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
- २) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
- ३) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई.
- ४) प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई.
- ५) मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जळगाव.
- ६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन, मुंबई व नागपूर
- ७) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक.
- ८) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगाव.
- ९) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत), धुळे. (मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह)
- १०) उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, चाळीसगाव, जि. जळगाव.
- ११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव.
- १२) कक्ष अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
- १३) कक्ष अधिकारी (व्यय-१०), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
- १४) कक्ष अधिकारी (का-१४४३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
- १५) अपर आयुक्त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा

मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२.

१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

१७) कक्ष अधिकारी, का. ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

१८) निवड नस्ती (का.१३)/संग्रहार्थ.

4/12

Name of the Department : Law and Judiciary Department
 Name of Work : Construction of Judges Quarters in the Premises of Additional District and Sessions Court at Chalisgaon, Dist - Jalgaon.
 Executing Agency : Public Works Department
 Land Availability : Yes
 Architect : Government

RECAPITULATION SHEET

| Sr. No. | Particulars of Scope | Unit Rate Norms | | Cost Rs. | |
|--|---|--------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| | | Rs Per (Sqmt./ Meter/ LumpSum) | | Component Wise | Total |
| (A) ESSENTIAL ITEMS (Components) | | | | | |
| 1 | Building proper (Built Up Area - Sq.m) | | | | |
| | Hon'ble Judges Residential Quarters (Type VII-A) | | | | |
| | Ground Floor (Parking) ✓ | 422.00 | Sq. M | 16,000 ✓ | 67,52,000 |
| | First Floor (02 Quarters) ✓ | 422.00 | Sq. M | 28,000 | 1,18,16,000 |
| | Second Floor (02 Quarters) ✓ | 422.00 | Sq. M | 28,000 | 1,18,16,000 |
| | Third Floor (02 Quarters) ✓ | 422.00 | Sq. M | 28,000 | 1,18,16,000 |
| | Fourth Floor (02 Quarters) ✓ | 422.00 | Sq. M | 28,000 | 1,18,16,000 |
| | Hon'ble Judges Residential Quarters (Type VII-B) | | | | |
| | Ground Floor (Parking) | 473.00 | Sq. M | 16,000 ✓ | 75,68,000 |
| | First Floor (02 Quarters) | 473.00 | Sq. M | 28,000 | 1,32,44,000 |
| | Second Floor (02 Quarters) | 473.00 | Sq. M | 28,000 | 1,32,44,000 |
| | Hon'ble Judges Residential Quarters (Type VII-C) | | | | |
| | Ground Floor (Parking) | 527.00 | Sq. M | 16,000 ✓ | 84,32,000 |
| | First Floor (02 Quarters) | 527.00 | Sq. M | 28,000 | 1,47,56,000 |
| | Second Floor (02 Quarters) | 527.00 | Sq. M | 28,000 | 1,47,56,000 |
| | Total B.U.A. = | 5110.00 | Sq. M | | Sub Total (A1) |
| 2 | Electrification | | | | 12,60,16,000 |
| | | | Internal | 5% of (A1) | 63,00,800 |
| | | | External | 6% of (A1) | 75,60,960 |
| | Fire Fighting Arrangements etc. | | | @800/Sq.m ✓ | 40,88,000 |
| | Pump House & Borewell | | | L.S. | 10,00,000 |
| | AV Room, Area Lighting, Pumps | | | L.S. | 10,00,000 |
| | CCTV | | | L.S. | 10,00,000 |
| | Lifts | | | L.S. | 10,00,000 |
| | Air Conditioning | 3 | | 25,00,000 ✓ | 75,00,000 |
| | Transformer, MSEB Charges, DG Sets | | | L.S. | 10,00,000 |
| | | | | L.S. | 20,00,000 |
| 3 | Water Supply & Sanitary Works | | | 5% of (A1) | Sub Total (2) |
| 4 | Furniture | 90 l. | 2581.60 ✓ | Sq. M | 2,500 ✓ |
| | | | | | Sub Total (3) |
| | | | | | Sub Total (4) |
| | | | | | Sub Total (A) |
| (B) MISCELLANEOUS ITEMS | | | | | |
| | Compound Wall & Gate | 733.09 | | 8,000 | 58,64,720 |
| | Water Main Storage | 100000.00 | Litres | 23 | 23,00,000 |
| | Under Ground water Tank | | | L.S. | 30,00,000 |
| | Internal road, Land Development, Parking, Land Scaping, Soil Investigation, CC Drains & C/D Works, Plinth Protection, Plantation etc. | | | 4.5% of (A1) | 56,70,720 |
| | | | | | Sub Total (B) |
| Project Cost (P) = (A) + (B) | | | | | |
| (C) PROVISIONS | | | | | |
| | (i) Contingencies | 4% on (sub total A1) | | | 50,40,640 |
| | (ii) GST | 18% on (P) | | | 3,36,70,080 |
| | (iii) Price Escalation | 5% on (P) | | | 93,52,800 |
| | (v) Labour Insurance | 1% on (P) | | | 18,70,560 |
| | | | | | Sub Total (C) |
| TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C) | | | | | |
| Say Rs. Lakhs | | | | | |
| 2369.90 | | | | | |
| 1 | Bldg Civil (A1) | | = Rs | 24,661 /Sqm | |
| 2 | Bldg Civil, Elect, Water Supply, Furniture (A) | | = Rs | 33,311 /Sqm | |
| 3 | Total (A+B) | | = Rs | 36,606 /Sqm | |